संख्या- 69 /2026/I 268/26-3-2026-1620566

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 4 मई, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में** अनुदान संख्या-80 **के अन्तर्गत उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग** के कार्यालय संचालन हेतु **वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1/541124/2026, दिनांक-08.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या- 80 के लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 800- अन्य व्यय , 07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 20- सहायता अनुदान- समान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 523.60 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

3- अत: आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त विभाग के उपरिवर्णित शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या- 80 के लेखाशीर्षक- 2225- अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण , 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 001-निदेशन तथा प्रशासन , 800- अन्य व्यय, 07- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग- 31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 20- सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत **प्राविधानित धनराशि रू0-**523.60 लाख के सापेक्ष **सम्पूर्ण धनराशि रू0-523.60 लाख (रू0 पांच करोड़ तेइस लाख साठ** हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण

अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय कार्यालय संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: [illegible]-05-2026
17:20:00
(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।